

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Narayana Superspeciality Hospital,  
Plot 3201, Block - V, DLF Phase - III,  
Sector-24, Gurugram,  
Haryana 122002

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	चंद्रमोहन मल्होत्रा पिता— स्व० लाल चंद्र मल्होत्रा ग्राम— पजाबी कॉलोनी चिटकोहरा पो०— अनिसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	हृदय रोग एआईसीडी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 2,00,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रूपये का क्रास चेक सं0 196823.....  
...मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी, विभाग को वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५१९(१४)

पटना, दिनांक १०/२/२०२५

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)। आईटी मेनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेरित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,

कल्याण सिंह सुपर स्पेशलीटी

कैंसर इंस्टीच्युट,

सीजी सी०टी० सुल्तानपुर रोड,

लखनऊ-226002

पटना, दिनाक .. .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	
1	गोल्डी कुमारी पिता— तारकेश्वर सिंह ग्राम+पो०— भैसाखाल थाना— जीरादेह जिला— सिवान	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 / (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 19652t ..... ....  
 मूल रूप मे सलग्न है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर विकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५२२(१४)

पटना, दिनांक १०/२/२०२३

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

अधीक्षक,  
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 असारीनगर, नई दिल्ली | 110029

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	ललिता देवी पति— प्रमोद महतो ग्राम— रामपुरमणि उर्फ शकरपुर पो— सुरता महम्मदपुर थाना— बरियारपुर जिला— मुजफरपुर यूएचआईडी न0— 107909980	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196825.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हॉ/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ४१५(१४)

पटना, दिनांक १०/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं १९६४२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
१०/२/२५

स0 स0 14 /एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,  
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक .....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सुरेश सिंह पिता— गौरी शकर सिंह ग्राम— उज्जैन लोहियार पो०— गायघाट थाना— हरसिंही जिला— पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०— 100666669	हृदय रोग (डीवीआर)	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
			1,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176845 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग से वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 10/2/2025

ज्ञापाक ५१६(१४)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196825 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक. ....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राणा उमाशकर सिंह पिता— राणा हसदेव सिंह ग्राम+पो— रासपुर पतसिया थाना— मोहिउद्दीन नगर जिला— समस्तीपुर यूएचआईडी न0— 106205433	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	बबीता देवी पति— सुनील कुमार सिंह ग्राम+पो— नहौना थाना— सासाराम जिला— रोहतास यूएचआईडी न0— 107450032	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मो० शाहिद कमाल पिता— मो० अशफाक अहमद ग्राम+पो— पुरुषोत्तमपुर थाना— छौडादानो जिला— पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0— 107787501	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196825 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-CA 10874584292, खाता धारक का नाम— DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT

ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५१८(१४)

पटना, दिनांक १०/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 १९६४२५ .. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
१०/२/२०२५

सं0 सं0 14/.एम 11-1 /2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

**प्रेषक**

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

**सेवा में**

निदेशक /अधीक्षक  
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-१  
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनाक. ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सर्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	लाल बहादुर सिंह पिता— हिरा लाल सिंह ग्राम— त्रिलोकपुर पो०— जमसर थाना— उचकागाव जिला— गोपालगञ्ज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सर्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सर्थान/अस्पताल के खाता स0 50100143852078 खाता धारक का नाम—“इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साईंस” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम—Site No-2, OCF pocket, sector C, Vasant Kunj, New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000273 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५१४(१५)

पटना, दिनांक १०/१२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना की प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १७६८२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे,  
 निदेशक,  
 सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सरस्थान,  
 राय बरेली रोड, लखनऊ, 226014

पटना, दिनाक . . . . .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शैलेन्द्र कुमार वर्मा पिता— रमेश प्रसाद वर्मा ग्राम— नाजीरपुर पो०— शेखपुर थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 20181107393	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आरफे हुसैन पिता— सलीम मिया ग्राम— धरम मकरियार पो०— हसुआ थाना— धनौती जिला— सिवान सीआर न०— 2024971825	हेपेटाइटिस बी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	परफूल मिया पिता— रसूल मिया ग्राम— पुरुषोत्तमपुर पो०— गौरीपुर थाना— पुरुषोत्तमपुर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2025010708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राहुल कुमार यादव पिता— राजू यादव ग्राम— सेवरही बरवा पो०— गुदगुदी थाना— गोबर्धना जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2015789570	हृदय रो टीओएफ रिपेयर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	पवन कुमार पिता— राजेन्द्र दास ग्राम+पो0— चडरहिया थाना— हरसिंही जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 2023187285	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
6	अरुण कुमार पिता— कालिका प्रसाद ग्राम— रमपुरवा टोला चपरिया पो0+थाना— मैनाटाड जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2022815494	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	समीर कुमार पिता— सुधीर कुमार राम ग्राम— गोरौली पो0— रामगढ़ा थाना— दरौदा जिला— सिवा सीआर न0— 2021526474	च्यूरो सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			7,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,15,000/- (सात लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196625 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री

चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी०  
आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह  
के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५२०(१४)

पटना, दिनांक १०/११/२०२३

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है  
कि सलग्न चेक सं० १९६८२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को  
कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई.टी. मैनेजर,  
स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख १०/११/२०२३

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक, /अधीक्षक  
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान  
संस्थान, गोमती नगर  
लखनऊ -226010

पटना, दिनाक-

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरकारी संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	प्रदीप भगत पिता— विनेश्वर भगत ग्राम— पकडियार पो०— गौरा थाना— कटेया जिला— गोपालगंज	हृदय रोग एम्बीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरकारी/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176825 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरकारी/अस्पताल के खाता सं0-6193000100005944, खाता धारक का नाम—MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाता का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम—विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं0—PUNB0619300 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्राप्त करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५२१(१४)

पटना, दिनांक १०/२/२०२३

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. १९६८६५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे ,  
 निदेशक  
 सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
 इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
 वाराणसी –221005

पटना, दिनांक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक – 05.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरायन मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	5	
1	सरस्वती कुमारी पिता– सरोज कुम्हार ग्राम+पो0– भानपुर थाना– दिनारा जिला– रोहतास ओपीडी न0– 24 / 7845	द्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विककी कुमार पिता– बिन्दा प्रसाद जायसवाल ग्राम– किरकला पो0+थाना– सोनहन जिला– कैमूर एमआरडी न0– 5328439	न्यूरो रोग कंजरवेटिव	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अजित पिता– अखिलेश कुमार ग्राम+पो0+थाना– चॉद जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी न0– 6936941	पेडिएट्रीक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	उमापति देवी पति– रामेश्वर पांडेय ग्राम– मौनी पो0– मलवार थाना– शिवसागर जिला– रोहतास एमआरडी न0– 5396445	कैसर रोग	1,20,000	एक ला बीस हजार स्वीकृत।

5	मालती कुंवर पति— परशुराम तिवारी ग्राम— खैरा वेद पो0— डुमरी थाना— चेनारी जिला— रोहतास एमआरडी नं0— 5436782	कैसर रोग	1,20,000	एक लां बीस हजार स्वीकृत ।
6	सविता देवी पति— राम अवधेश शर्मा ग्राम— पुराहरा पो0— बड़हारी थाना— करगहर जिला— रोहतास एमआरडी नं0— 4890726	कैसर रोग	1,20,000	एक लां बीस हजार स्वीकृत ।
7	मुन्नी देवी पति— प्रभु साह ग्राम+पो0— भोपतपुर थाना— कोटवा जिला— पूर्वी चम्पारण एमआरडी नं0— 5427023	कैसर रोग	1,20,000	एक लां बीस हजार स्वीकृत ।
8	राम दर्शन चौधरी पिता— स्व राम अवदान चौधरी ग्राम— बढ़ेयाबाग भवानीपुर पो0— तकिया थाना— सासाराम जिला— रोहतास एमआरडी नं0— 5112503	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
			₹ 8,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) के लिए आपके सरकारी/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरकारी/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi, RTGS/IFSC** कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारूप विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक ५२३ (१५)

पटना, दिनांक १०/१२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६८२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि’— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आईटीमैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

४६८२५  
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
 होमी भाभा कैसर अस्पताल  
 घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
 ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
 वाराणसी 221002

पटना, दिनाक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	राम जन्म सेठ पिता— बैजनाथ सेठ ग्राम+पो0— करजी थाना— चैनपुर जिला— केमूर भभुआ केस फाईल न0—18एफ2024 / 021189	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	रामाश्रय सिंह पिता— जयनाथ सिंह ग्राम— कोटा पो0— करम्हारी थाना— कुछीला जिला— केमूर भभुआ केस फाईल न0—18एफ2023 / 015981	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	उमेश सिंह पिता— अकलू सिंह ग्राम+पो0— डुईया थाना— दिनारा जिला— रोहतास केस फाईल न0— केर्झ / 51733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुनील चौधरी पिता— भगवान चौधरी ग्राम— हुका डीह पो0— गोसलडीह थाना— सूर्यपुरा जिला— रोहतास केस फाईल न0—18एफ2024 / 019177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मनोज देवी पति— गांधी सिंह ग्राम+पो0— छित्तनपुर थाना— असौव जिला— सिवान केस फाईल न0—18एफ2024 / 005269	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शिल्पी विश्वकर्मा पति— विजय कुमार विश्वकर्मा ग्राम— एस के जी शुगर मिल थाना— सराय पो0+जिला— सिवान केस फाईल न0—18एफ2024 / 004966	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	नारायण भगत पिता— राम दयाल भगत ग्राम— बंगरा नवका टोला पो0— अहियापुर थाना— विजयीपुर जिला— गोपालगञ्ज केस फाईल न0—18एफ2024 / 020286	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
8	आनन्द कुमार पाण्डेय पिता— बटेश्वर पाण्डेय ग्राम+पो0+थाना— चाद जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न0—18एफ2024 / 018390	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रीता देवी पति— अशोक साह ग्राम— फजलगंज पो0+थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल न0—18एफ2024 / 021338	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	औनील कुमार गुप्ता पिता— स्व0 गोपाल प्रसाद गुप्ता ग्राम— राज लक्ष्मी गोपालगञ्ज रोड मानपुर पो0+थाना— बुनियादगञ्ज जिला— गया केस फाईल न0—18एफ2024 / 021493	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	ठाकुर प्रसाद सिंह पिता— शिव पूजन सिंह ग्राम+पो0— कतिकनर थाना— नावानगर जिला— बक्सर केस फाईल न0—18एफ2024 / 004277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	रमाशंकर राम पिता— सुखलाल राम ग्राम— बाबूगंज इग्लिश पो0— बिरी कला थाना— सिकरौल जिला— बक्सर केस फाईल न0— कई / 18238	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	सीता देवी पति— उपेद्र शर्मा ग्राम— हाजीपुर पो०— धनगावां थाना— काको जिला— जहानाबाद केस फाईल न०—18एफ2024 / 015030	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	सुनीता वर्मा पति— पिकू वर्मा ग्राम— बारी टोला बक्सर पो०— बक्सर थाना— मोडल जिला— बक्सर केस फाईल न०—18एफ2023 / 016511	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सुदरम कुमार पिता— दिनेश राय ग्राम+पो०— रायपुर बुजुर्ग थाना— सरायरंजन जिला— समर्स्तीपुर केस फाईल न०—16एफ2025 / 000056	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अजली कुमारी पिता— अरविन्द पाण्डेय ग्राम— बैजनाथपुर पो०— खनवा थाना— सिरदला जिला— नवादा केस फाईल न०—16एफ2025 / 000054	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	गोलू कुमार सिंह पिता— राकेश सिंह ग्राम— बेलवा पो०— आदापुर थाना— हरपुर जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०—19एफ2024 / 004657	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	इसरावती देवी पति— मदन ठाकुर ग्राम— सुदामाचक पो०— मटियारी थाना— विजयीपुर जिला— गोपालगंज केस फाईल न०—18एफ2023 / 012687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	सुशीला देवी पति— अवदेश कुमार सिंह ग्राम— कोलासी पो०— सदलपुर थाना— कोढा जिला— कटिहार केस फाईल न०—18एफ2024 / 005308	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	अनीता देवी पति— रविन्द्र मिश्रा ग्राम— पिताम्बरपुर पो०+थाना— शिवसागर जिला— रोहतास केस फाईल न०—18एफ2024 / 016757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	सजय चौधरी पिता— रघुनाथ चौधरी ग्राम— शिव नंदन मिश्रा रोड डुमरॉव पोताना— डुमरॉव जिला— बक्सर केस फाईल नं0-18एफ2024 / 018422	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			20,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,10,000/- (बीस लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196813 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल, वाराणसी, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0280196 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

50 / -

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५२४ (१५)

निदेशक १०/२६२०२५ पटना, दिनांक-

**प्रतिलिपि—** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स ०..../१६४१२ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि—** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रस्तुति

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,  
 ARVACHIN HOSPITAL,  
 Plot No 1700, Amara Khaira Chak,  
 Akhari Bypass NH 2,  
 (Near Delhi Public School)  
 Varanasi 221011.

पटना, दिनाक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सर्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार पिता— बशी प्रसाद ग्राम— बाबूगाज पो— देहरी थाना— डेहरी जिला— रोहतास	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सोनी कुमारी पति— दिनेश कुमार गोस्वामी ग्राम— सख्ता पो— खैरहा थाना— डेहरी जिला— रोहतास	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	ब्रजेश कुमार पिता— ललिता प्रसाद ग्राम+पो+थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सर्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196825 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सर्थान/अस्पताल के खाता स0 50200088951405 खाता धारक

का नाम— Arvachin Healthcare Private Limited, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank,  
शाखा का नाम— Lohita, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0002166 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५२५(१४)

पटना, दिनांक— १७/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६४१५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर/स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
१०/२/२२

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे,  
 निदेशक,  
 टाटा स्मारक अस्पताल,  
 परेल, मुम्बई - 400012

पटना, दिनाक.

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सुदर्शन प्रसाद पिता— स्व० राम सुभग लाल ग्राम— नई बाजार थाना— मोडल पो०+जिला— बक्सर केस फाईल नं०— 11एफ2024 / 032540	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	मोहम्मद शहबाज अली पिता— स्व० मो० हामिद अली ग्राम— अब्दुल मोजिब रोड बरहपुरा पो०— बरहपुरा थाना— ईशाकचक जिला— भागलपुर केस फाईल नं०— सीवी / 34327	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उपेद्र पासवान पिता— जगदेव पासवान ग्राम— लोदीपुर मसूरपुर पो०+थाना— खुसरूपुर जिला— पटना केस फाईल नं०— 11एफ2024 / 019899	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रजनी देवी पति— बिनोद प्रसाद सिंह ग्राम+पो०— गगेली थाना— के हाट जिला— पूर्णियाँ केस फाईल नं०— 11एफ2024 / 015968	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	आजाद अली पिता— शेख मोख्तार ग्राम— नारायणपुर पो— मीरगज थाना— थावे जिला— गोपालगंज केस फाईल नं— 11एफ2023 / 033015	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
6	कुमारी शोभा सिन्हा पति नकुल प्रसाद ग्राम—बीबीगंज भट्टा पर कुशवाहा धर्मशाला, पो—थाना—दानापुर जिला—पटना केसफाईल नं—11एफ2023 / 013533	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			4,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 116825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0284241 मे अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी०

आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हॉ /-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक ५२६(१४)

पटना, दिनांक

१०/१/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय रेटेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक संख्या १९६८२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी. एम१३४, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0स0 14 / एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा में,  
 निदेशक,  
 क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
 आई०डी०ए०, रकुड़र रोड  
 पी० वी० न०-३, भेल्लोर-६३२००४

पटना, दिनाक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सर्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुदन कुमार चौधरी पिता— शैलेन्द्र चौधरी ग्राम+पो— दरियापुर थाना— सजौर जिला— भागलपुर सीएमसी न०— एएच 60055	ब्रेन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	जयन्त कुमार पिता— अमृत कुमार सिंह ग्राम— कहारपुर पो— हरिओ थाना— झाडापुर जिला— भागलपुर सीएमसी न०— एजी 86248	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	मास्टर धैर्य वर्मा पिता— धीरज कुमार ग्राम+पो— पाईबिगहा थाना— पैबिघा जिला— गया सीएमसी न०— एएच 37295	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	गौतम कुमार पिता— रमेश कुमार ग्राम— आकोपुर पो— पाईबिगहा थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद सीएमसी न०— एएच 82042	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			6,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,50,000/- (छ लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सर्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स०

30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० .. 196825 द्वारा आहेठी  
कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-36889551846, खाता धारक  
का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का  
नाम-भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स०-SBIN 0001618 मे अतरित किया जाता ।

3. गलत प्रमाण पत्र/चदम नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित  
मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त' बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर  
लिया जायेगा ।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा  
के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए ।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा  
प्रारम्भ करे । अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी  
गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक ही बार  
निर्गत करें । बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है । उक्त  
मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी ।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये । मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा  
के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा  
चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के  
चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस  
करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा  
सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली  
रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस  
किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५२७(१४)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न  
चेक स० 196825 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य किसार  
पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स०स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक

बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च, सेटर

१/१ नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु

कोलकत्ता-700027

पटना, दिनाक. .... . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अमन कुमार पिता— विशेश्वर यादव ग्राम+पो— डडा बाजार थाना— गोराडीह जिला— भागलपुर	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196825. ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स०— 23210200000002, खाता धारक का नाम— बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स० IOBA0002321 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिफ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक १५/२/२०२५

ज्ञापाक ४२८(१४)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६८२५ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, रवास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, रवास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख